न्यायालय अवर न्यायाधीश
सोनपुर सारण।
हकियत वाद सं0—155 सन् 2018
ज्ञान्ती देवी व अन्य...........................वादीगण।
बनाम
हरेराम राय वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 13.09.2022

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दिनांक 26.11.2019 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी सं0 03 दिनांक 16.07.2019 को अपने पीछे अपने तीन लड़के एवं अपनी विधवा पत्नी को छोड़कर मर गए। ये ही लोग उनके कानूनी वारिसान है जो उनके कानूनी वारिसान है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 03 का नाम कलमजद कर उनके वारिसानों का नाम जर्द करने की कृपा की जाए। वादी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 21.12.2021 को विलंब माफ करने हेतु तथा आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को प्रतिउत्तर दिनांक 28.07.2022 को दाखिल किया गया है जिसमें उनका कथन है कि वादीगण की ओर से दिनांक 26.11.2019 का दिया गया प्रतिस्थापना आवेदन, लिमिटेशन व एबेटमेंट सेटेसाईट का आवेदन के साथ नहीं होने के कारण पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी सं0 03 की मृत्यु के 29 माह बाद विलंब से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल किया गया है। वादीगण द्वारा दिया गया तीनों आवेदन एक साथ न दिए जाने व शपथ पत्र के साथ

नहीं रहने के कारण कानूनन खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि वादीगण का उक्त आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0 03 रामबाबु गुप्ता थे जिनकी मृत्यु दिनांक 16.07.2019 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादीगण के द्वारा यह आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादीगण की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन को 200/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए एवं उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादीगण खर्च की राशि नजारत (बिहार सरकार) को प्रदान करें।

वाद दिनांक ....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।